


राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:प.4 (iv)CAG/IMP/CHC/2017-18/3536-44

दिनांक: 13/9/2017

प्रशासनिक स्वीकृति आदेश

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET)" के सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन (SMAM) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में "फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग" की स्थापना हेतु श्री हीरालाल फोगावत, निवासी ग्राम हरिपुरा, पं. स. पिपराली, जिला सीकर को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन, उप निदेशक कृषि (वि०) जिला परिषद सीकर द्वारा की गई अनुशंसा तथा योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा कृषि उपकरणों/यंत्रों के विहित मापदण्डों के आधार पर प्रस्ताव के परीक्षण उपरान्त "फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग" हरिपुरा" पंचायत समिति पिपराली जिला सीकर की स्थापना की प्रशासनिक स्वीकृति परिशिष्ट "1" में वर्णित शर्तों की पालना के अध्यक्षीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। उक्त "फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग" हेतु अनुमोदित कृषि यंत्र/उपकरण परिशिष्ट "2" के अनुसार होंगे।



(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त, कृषि

क्रमांक:प.4 (iv)CAG/IMP/CHC/2017-18/3536-44

दिनांक: 13/9/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त कृषि, राजस्थान, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, कृषि, मुख्यालय, जयपुर।
3. खण्डीय संयुक्त निदेशक, कृषि (वि०), सीकर।
4. उप निदेशक, कृषि (वि०), जिला परिषद सीकर को उनके द्वारा अग्रेषित प्रस्ताव के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि प्रशासनिक स्वीकृति के अन्तर्गत वर्णित शर्तों की पालना हेतु आवेदक से शपथ पत्र प्राप्त कर आवेदन सम्बन्धित बैंक शाखा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करे।
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/सहायक जन संपर्क अधिकारी मुख्यालय, जयपुर।
6. शाखा प्रबन्धक सम्बन्धित बैंक मय एस.एल.बी.सी. द्वारा फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग के वित्त पोषण हेतु जारी परिपत्र की प्रति जरिये उप निदेशक, कृषि (वि०), जिला परिषद सीकर।
7. श्री हीरालाल फोगावत, निवासी ग्राम हरिपुरा, पं. स. पिपराली, जिला सीकर को प्रेषित कर लेख है कि प्रशासनिक स्वीकृति आदेश में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शपथ पत्र उप निदेशक, कृषि (वि०) जिला परिषद सीकर कार्यालय को प्रस्तुत करे तथा सम्बन्धित बैंक शाखा से सम्पर्क कर फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग" हरिपुरा" पंचायत समिति पिपराली जिला सीकर की स्थापना हेतु ऋण प्राप्त किये जाने की कार्यवाही पूर्ण करे।
8. आरक्षी पत्रावली।


(के० एन० खण्डेलवाल)
उप निदेशक, कृषि (अभियांत्रिकी)

“फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग” ग्राम हरिपुरा, पंचायत समिति पिपराली, जिला सीकर की स्थापना हेतु निर्धारित शर्तें

- i. श्री हीरालाल फोगावत, निवासी ग्राम हरिपुरा, पं. स. पिपराली, जिला सीकर “फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग” की स्थापना बैंक से प्राप्त ऋण से की जायेगी।
- ii. बैंक द्वारा मार्जिन मनी को छोड़कर शेष राशि के बराबर का ऋण आवेदक को स्वीकृत किया जायेगा।
- iii. आवेदक को अनुदान राशि केवल मशीनों/यंत्रों की लागत के आधार पर देय होगी। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन के अन्तर्गत “फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग” की स्थापना हेतु स्वीकृत किये गये कृषि यंत्रों/उपकरणों की लागत का 40% अनुदान देय है। कृषि यंत्रों/उपकरणों के क्रय पर प्रचलित कर आवेदक को स्वयं वहन करना होगा।
- iv. ऋण अदायगी में आवेदक द्वारा बैंक की राशि लौटाने के उपरांत अनुदान की राशि का समायोजन एक मुश्त रूप से बैंक द्वारा किया जायेगा। आवेदक ऋण राशि अदा करने में असफल होता है तो उसे अनुदान का लाभ भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदक बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण राशि एवं देय ब्याज का देनदार रहेगा। बैंक को अनुदान राशि पुनः विभाग को लौटानी होगी।
- v. स्वीकृत किये गये ऋण को 4 वर्ष की अवधि (Lock-in Period) के पूर्व पूर्णरूप से लौटाया नहीं जा सकेगा। (Lock-in Period) की अवधि के पूर्व आवेदक द्वारा बैंक ऋण पूर्ण रूप से चुकाने पर आवेदक अनुदान का पात्र नहीं रहेगा। इस स्थिति में बैंक द्वारा अनुदान की राशि विभाग को वापिस की जावेगी।
- vi. अनुदान की राशि जब तक बैंक के पास रहेगी तब तक उस पर विभाग/आवेदक को कोई ब्याज देय नहीं होगा। ऋण राशि से अनुदान की राशि घटाने के बाद शेष राशि पर ही बैंक द्वारा आवेदक से ब्याज लिया जायेगा।
- vii. योजनान्तर्गत क्रय किए गए ट्रैक्टर एवं कृषि मशीनों से न्यूनतम 4 वर्ष तक कस्टम हायरिंग (Custom Hiring) सेवायें कृषकों को प्रदान करनी आवश्यक होगी।
- viii. स्वीकृत ऋण की वसूली अधिकतम 6 वर्ष में की जावेगी तथा ऋण स्थगन अवधि (Moratorium Period) अधिकतम 6 माह रहेगी।
- ix. योजना के तहत क्रय की गई मशीनों/यंत्रों आदि को ऋण प्रदाय किये गये बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति/समिति/फर्म को आवेदक द्वारा 6 वर्ष की अवधि तक विक्रय/रेहन (Mortgage) अथवा हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा। इसका उल्लंघन किये जाने पर विभाग को नियमानुसार अनुदान राशि मय प्रचलित ब्याज के वापस करनी होगी। राशि वापस न किये जाने की दशा में संपूर्ण राशि की वसूली हेतु आवेदक पर कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
- x. आवेदक द्वारा बैंक ऋण अदा न करने की स्थिति में बैंक द्वारा वैधानिक कार्यवाही उपरांत वसूल की गई राशि में से प्रथमतः बैंक की ऋण राशि (ब्याज सहित) समायोजित की जाकर शेष राशि आवेदक को लौटाई जायेगी।



- xi. "फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग" ग्राम हरिपुरा, पंचायत समिति पिपराली, जिला सीकर की स्थापना हेतु कय की गई मशीनों/यंत्रों के शेड निर्माण एवं आवश्यकतानुसार भूमि आदि की व्यवस्था तथा कृषि यंत्रों का रख रखाव आवेदक को स्वयं करना होगा।
- xii. "फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग" ग्राम हरिपुरा, पंचायत समिति पिपराली, जिला सीकर कम से कम 300 हैक्टेयर क्षेत्रफल प्रति सीजन में कृषकों को सुविधा प्रदान करने हेतु सक्षम होना चाहिये।
- xiii. "फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग" ग्राम हरिपुरा, पंचायत समिति पिपराली, जिला सीकर द्वारा कृषि मौसम में केवल कृषि संबंधित कार्य ही किये जा सकेंगे वर्षाकाल आदि में जब कृषि कार्य नहीं होते हैं तब अकृषि कार्य भी किये जा सकेंगे। "फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग" में स्वीकृत प्रत्येक ट्रेक्टर को प्रति वर्ष 600 घंटे का संचालन कृषि कार्यों के प्रयोजनार्थ किया जाना अनिवार्य होगा।
- xiv. "फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग" ग्राम हरिपुरा, पंचायत समिति पिपराली, जिला सीकर अंतर्गत प्रदाय की गई मशीनों/उपकरणों/कृषि यंत्रों को आवेदक द्वारा सही हालत में रखना होगा। इसका निरीक्षण समय-समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।
- xv. आवेदक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केन्द्र हेतु कय किये जा रहे ट्रेक्टर चलित उपकरण/यंत्र ट्रेक्टर की बी.एच.पी. के संगत (Compatible) हो साथ ही केन्द्र के संचालक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके द्वारा प्राप्त किये गये ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों का संचालन उपयुक्त एवं वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस धारक व्यक्ति द्वारा किया जाये।
- xvi. "फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग" ग्राम हरिपुरा, पंचायत समिति पिपराली, जिला सीकर द्वारा कृषकों के खेतों में किये गये कार्यों का विवरण द्वारा एक रजिस्टर में निर्धारित प्रारूप में संधारित करके रखा जाना होगा। इसका निरीक्षण भी समय-समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। विभाग द्वारा चाहे जाने पर केन्द्र को संधारित जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी।
- xvii. "फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग" ग्राम हरिपुरा, पंचायत समिति पिपराली, जिला सीकर की स्थापना हेतु आवेदक द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार उपकरणों/यंत्रों का क्रय किया जायेगा। आवेदक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके द्वारा क्रय किये जाने वाले उपकरण/यंत्र एवं उनके निर्माता/डीलर उप निदेशक कृषि (वि०) जिला परिषद द्वारा उसी जिले में अथवा राज्य के अन्य जिलों में पंजीकृत हो। अन्य स्वचालित मशीन/यंत्र भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध फर्मों से ही क्रय किये जायेगे।
- xviii. राशि रु. 25,000 से अधिक के कृषि यंत्रों/उपकरणों हेतु भारत सरकार से मान्यता प्राप्त परीक्षण केन्द्रों द्वारा जारी कॉमर्शियल टेस्ट रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा तथा केन्द्र पर रखे जाने वाले समस्त यंत्रों/उपकरणों के विस्तृत स्पेशिफिकेशन आवेदक द्वारा शपथ पत्र के संलग्नक के रूप में दिये जायेगे।
- xix. "फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग" ग्राम हरिपुरा, पंचायत समिति पिपराली, जिला सीकर को स्थानीय आवश्यकता के आधार पर क्रमोन्नत किया जा सकेगा।
- xx. आवेदक द्वारा इन शर्तों को स्वीकार करने सम्बन्धी शपथ पत्र राशि रु. 50/- नॉन ज्युडिशियल स्टैम्प पेपर पर निष्पादित किया जायेगा।



“फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग” ग्राम हरिपुरा, पंचायत समिति पिपराली, जिला
सीकर हेतु अनुमोदित कृषि यंत्रों/उपकरणों की सूची

क्र.सं.	“फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग” के अन्तर्गत स्वीकृत उपकरणों / यंत्रों का विवरण	कस्टम हायरिंग केन्द्र पर स्वीकृत उपकरणों/ यंत्रों की संख्या
1.	ट्रैक्टर	01
2.	रोटावेटर	01
3.	डिस्क प्लो	01
4.	कल्टीवेटर	01
5.	सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल	01
6.	एम. बी. प्लो	01
7.	थ्रेसर	01

